भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 776
26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा शिक्षा संस्थानों का सुदृढ़ीकरण

776. श्री बस्तीपति नागराजू:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में चिकित्सा शिक्षा संस्थानों के उत्थान और सुदृढ़ीकरण के लिए तैयार की गई पहलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र- वार ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना के उद्देश्यों और इसकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन की स्थिति और परिकल्पित उद्देश्यों की प्राप्ति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से सम्बद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' हेतु एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का संचालन करता है, जिसमें अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है, को प्राथमिकता दी जाती है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि साझा करने की व्यवस्था पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में और अन्य के लिए 60:40 के अनुपात में है। इस योजना के तहत तीन चरणों में 157 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 109 मेडिकल कॉलेज कार्यशील हैं। देश में स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों का चरणवार विवरण **अनुलग्नक** में है।

देश में चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं को बढ़ाने और चिकित्सा मानकों में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ उपाय/कदम इस प्रकार हैं: -

i. जिला/रेफरल अस्पताल को उन्नत करके नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) जिसके तहत 157 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 109 पहले से ही कार्यशील हैं।

ii. मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़/उन्नत करने के लिए सीएसएस के तहत, एमबीबीएस (यूजी) और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए चरण-I में 5972.20 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत से 83 कॉलेजों में 4977 एमबीबीएस सीटें, 1498.43 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत से 72 कॉलेजों में 4058 पीजी सीटें और चरण-II में 4478.25 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत से 65 कॉलेजों में 4000 पीजी सीटें बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान की गई है।

iii. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के घटक "सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन" के तहत कुल 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 66 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

iv. नए एम्स की स्थापना के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 22 एम्स को मंजूरी दी गई है। इनमें से 19 में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू हो चुके हैं।

v. शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षण संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए डीएनबी योग्यता को मान्यता दी गई है।

vi. मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों/डीन/प्रिंसिपल/निदेशक के पदों पर नियुक्ति/विस्तार/पुनर्नियुक्ति के लिए आयु सीमा को 70 वर्ष तक बढ़ाया गया है।

*****

दिनांक 26.07.2024 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 776 के भाग (क) से (ग) में संदर्भित अनुलग्नक

'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से सम्बद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत अनुमोदित 157 मेडिकल कॉलेजों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कॉलेजों की संख्या	जिलें
		चरण-I (58)	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	पोर्ट ब्लेयर
2	अरुणाचल प्रदेश	1	नाहरलगुन
3	असम	4	धुबरी, नागांव, उत्तरी लखीमपुर, दीफू
4	बिहार	3	पूर्णिया, सारण (छपरा),समस्तीपुर
5	छत्तीसगढ	2	राजनंदगांव, सरगुजा
6	हिमाचल प्रदेश	3	चम्बा, हमीरपुर, नाहन (सिरमौर)
7	हरियाणा	1	भिवानी
8	झारखंड	3	दुमका, हज़ारीबाग़, पलामू (डाल्टनगंज)
9	जम्मू और कश्मीर	5	अनंतनाग, बारामूला, राजौरी, डोडा, कठुआ
10	मध्य प्रदेश	7	दतिया, खंडवा, रतलाम, शहडोल, विदिशा, छिंदवाड़ा, शिवपुरी
11	महाराष्ट्र	1	गोंदिया
12	मेघालय	1	पश्चिमी गारो हिल्स (तुरा)
13	मिजोरम	1	फाल्कन
14	नागालैंड	1	नागा अस्पताल (कोहिमा)
15	ओडिशा	5	बालासोर, बारीपदा (मयूरभंज), बोलांगीर, कोरापुट, पुरी
16	पंजाब	1	एसएएस नगर
17	राजस्थान	7	बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, पाली, सीकर
18	उत्तर प्रदेश	5	बस्ती, फैजाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहाँपुर, बहराईच
19	उत्तराखंड	1	अल्मोड़ा
20	पश्चिम बंगाल	5	बीरभूम (रामपुर हाट), कूच बिहार, डायमंड हार्बर, पुरुलिया, रायगंज (उत्तर दिनाजपुर)
		चरण-II (24)	
1	बिहार	5	सीतामढी, झंझारपुर, सीवान, बक्सर, जमुई
2	झारखंड	2	कोडरमा, चाईबासा (सिंहभूम)
3	मध्य प्रदेश	1	सतना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कॉलेजों की संख्या	जिलें
4	ओडिशा	1	जाजपुर
5	राजस्थान	1	धौलपुर
6	उत्तर प्रदेश	8	एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फ़तेहपुर, सिद्धार्थनगर (डुमरियागंज), देवरिया, ग़ाज़ीपुर, मिर्ज़ापुर
7	पश्चिम बंगाल	5	बारासत, उलुबेरिया, आरामबाग, झारग्राम, तामलुक
8	सिक्किम	1	गंगटोक
चरण-III (75)			
1	आंध्र प्रदेश	3	पिडुगुरल्ला, पाडेरु, मछलीपट्टनम
2	असम	1	कोकराझार
3	छत्तीसगढ	3	कोरबा, महासमुंद, कांकेर
4	गुजरात	5	नर्मदा, नवसारी, पंचमहल, पोरबंदर, मोरबी
5	जम्मू और कश्मीर	2	उधमपुर, हंदवाड़ा (जिला कुपवाड़ा)
6	कर्नाटक	4	चिक्कमगलुरु, हावेरी, यादगिरि, चिक्काबल्लापुरा
7	लद्दाख	1	लेह
8	मध्य प्रदेश	6	राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर, सिंगरौली
9	महाराष्ट्र	1	नंदुरबार
10	मणिपुर	1	चुराचांदपुर
11	नागालैंड	1	मोन
12	ओडिशा	1	कालाहांडी
13	पंजाब	2	कपूरथला, होशियारपुर
14	राजस्थान	15	अलवर, बारां, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, श्री गंगानगर, सिरोही, बूंदी, सवाईमाधोपुर, टोंक, हनुमानगढ़, झुंझुनू, दौसा
15	उत्तराखंड	3	रुद्रपुर (जिला उधम सिंह नगर), पिथौरागढ, हरिद्वार
16	उत्तर प्रदेश	14	बिजनौर,कुशीनगर,सुल्तानपुर,गोंडा,ललितपुर,लखीमपुरखीरी,चंदौली, बुलंदशहर,सोनभद्र,पीलीभीत,औरैया,कानपुर देहात,कौशांबी,अमेठी
17	तमिलनाडु	11	तिरुप्पुर, नीलगिरी, रामनाथपुरम, नमक्कल, डिंडीगुल, विरुधुनगर, कृष्णागिरि, तिरुवल्लुर, नागपट्टिनम, अरियालुर, कल्लकुरिची
18	पश्चिम बंगाल	1	जलपाईगुड़ी

*****